हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

बारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 116

सोमवार, 31 अगस्त, 2026/09 भाद्रपद, 1948(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

2:00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

1. **शोकोद्गार :**

निम्नलिखित ने स्वर्गीय श्री राम रतन शर्मा, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए :-

1. माननीय मुख्य मंत्री
2. श्री जय राम ठाकुर, माननीय नेता प्रतिपक्ष
3. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, माननीय सदस्य
4. श्री राजेश धर्माणी, माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री

माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

"स्वर्गीय श्री राम रतन शर्मा जी, पूर्व सदस्य के निधन पर जो उल्लेख सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ। स्वर्गीय श्री राम रतन शर्मा जी का जन्म दिनांक 28 जनवरी, 1937 को श्री लोंगु राम शर्मा जी के घर गांव चकमोह, जिला हमीरपुर में हुआ था। श्री राम रतन शर्मा जी दो बार वर्ष 1982 व 1990 में विधायक रहे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ तथा भारतीय जन संघ में भी लंबे समय तक कार्य किया। वर्ष 1960 में जन संघ में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर कार्य किया। सरल और सहज व्यवहार के कारण उन्होंने क्षेत्र में अलग पहचान बनाई थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने बड़सर क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना लिया था। शिक्षा के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा है। उनकी विशेष रुचि सामाजिक कार्यों, बेरोज़गारी, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में रही थी। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। दिनांक 30 अगस्त, 2026 को उन्होंने 90 वर्ष की आयु में अन्तिम सांस ली। मैं दिवंगत आत्मा

को मान्य सदन की ओर से भी शांति की कामना और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और इस मान्य सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुँचा दिया जाएगा।"

(दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन में कुछ क्षण खड़े होकर मौन रखा गया।)

2. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित प्रश्न :

तारांकित प्रश्न संख्या: 3733 (स्थगित)पर माननीय सदस्य ने कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4042 (स्थगित) व तारांकित प्रश्न सं0 4552 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/ माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया। तारांकित प्रश्न सं0 4552 पर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को माननीय मुख्य मंत्री ने सप्लीमेंट करते हुए संदर्भित मामले के तथ्यों को स्पष्ट व उजागर किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

"माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, डिटेल्ड रिप्लाई दे दिया गया है। अगर आप अभी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इस विषय को नियम-61 में ला सकते हैं।"

तारांकित प्रश्न संख्या: 4553, 4554 व 4555 के उत्तरों पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4556 से 4617 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) अतारांकित प्रश्न :

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1682 (स्थगित) और अतारांकित प्रश्न संख्या : 1787 से 1829 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **शून्यकाल:**

1. **माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार** ने अपने निर्वाचन क्षेत्र भोरंज में पिछले कुछ वर्षों से कोरोना काल के दौरान बंद पड़े कुछेक बस रूटों की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया और बंद पड़े बस रूटों को पुन: चलाने हेतु बसें मुहैया करवाने का आग्रह किया।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने बसों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय मान्य सदन में उठाया है। हाल ही में 35 नई बसें हमीरपुर पहुँच गई हैं। माननीय सदस्य वहाँ पर लोकल प्रबन्धन से बात करके इस समस्या का हल निकाल सकते हैं।

इस पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने भी माननीय सदस्य को इलेक्ट्रिक बसें मुहैया करवाने का आश्वासन दिया।

2. श्री विपिन सिंह परमार, माननीय सदस्य, अनुपस्थित।

3. **श्री बलबीर सिंह वर्मा, माननीय सदस्य** ने अवगत करवाया कि नेरवा का ट्रांसपोर्ट डिपो तारादेवी से संचालित हो रहा है जिसकी वजह से कई कठिनाइयां सामने आ रही हैं। अत: जनहित को मध्यनज़र रखते हुए नेरवा ट्रांसपोर्ट डिपो का संचालन तारादेवी के बजाय नेरवा से ही किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने नेरवा से सैंज के बीच में खड़ी बसों तथा बंद किए गए 22 बस रूटों की तरफ भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए इन्हें बहाल करने का आग्रह किया।

इस पर **माननीय उप मुख्य मंत्री** ने सड़क के किनारे खराब खड़ी बसों की तरफ ध्यान न देने की सलाह देते हुए माननीय सदस्य को डीज़ल बसें मुहैया करवाने का आश्वासन दिया।

4. **माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा** ने अवगत करवाया कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों के चयन हेतु भूमिहीन होने की श्रेणी में तीन बिस्वा भूमि से कम धारकों को पात्रता में रखा गया है तथा पूर्णतः भूमिहीन व्यक्तियों को भी इसमें रखा गया है। पूर्णतः भूमिहीन व्यक्ति जो प्रदेश में हैं अगर वे हिमाचली हैं तो उनके लिए हिमाचली नागरिकता के कौन-कौन से दस्तावेज देना जरूरी होता है, क्या इसके लिए सरकार द्वारा कोई सूची बनाई गई है? के बारे में माननीय सदस्य ने जानना चाहा।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Nobody wants to intervene. Hon'ble Member, you have brought a very important issue to the notice of this House, and we have taken cognizance of this issue. We will take up this issue with the Government and the respective departments, and whatever reply, response that Vidhan Sabha Secretariat receives, we will be informing you also, and we will direct the department to respond to this proposition."

5. **माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल** ने अपने बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की लॉ वॉल्टेज और बारम्बार लग रहे कट के बारे में माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया तथा कहा कि आर0डी0एस0एस0 (RDSS) योजना के माध्यम से तथा विश्व बैंक द्वारा पोषित जो परियोजनाएं चल रही हैं, जिनके टेंडर हो चुके हैं, उन्हें तेजी से और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि बिलासपुर विधान सभा क्षेत्र के लोगों को लो-वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से निजात मिल सके।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Again we have taken a cognizance of this important issue and we will be writing to the HPSEBL also and to the concerned Hon'ble Minister. The response we get that we will apprise you also and we will see to it that the problem which you have raised that is taken care of. "

6. **माननीय सदस्य श्री सुदर्शन सिंह बबलू** ने अवगत करवाया कि उनके चिन्तपुरनी विधान सभा क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध मंदिर, माता चिन्तपुरनी के फंड से पहले स्थानीय गरीब लोगों तथा आस-पास की कुछ पंचायतों के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी तथा सामाजिक कार्यों के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध करवाते थे। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है कि मंदिर के पैसे को सामाजिक कार्यों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस समस्या के समाधान हेतु माननीय मंत्री से आग्रह किया।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने कहा कि इस मामले की कानूनी रूप से जांच करवाई जा रही है। कानून विभाग से राय लेने के बाद माननीय हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर को यह भी कहा गया है कि जब तक सोशल कॉज़ हेतु दोबारा से परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक कम-से-कम बच्चों की फीस देने या इलाज करवाने के लिए लोगों की मदद अवश्य करें।

7. **माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती** ने कैश क्रॉप सफेदा को काटने के लिए अनुमति प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों के बारे में माननीय सदन को विस्तार से अवगत करवाया तथा आग्रह किया कि फॉयर सीज़न में भी इनके कटान को खुला रखा जाए तथा किसानों की दिक्कतों को मध्यनज़र रखते हुए प्रोसीजर को सिम्पलीफाई किया जाए।

<u>अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था</u>

"यह विषय महत्वपूर्ण है और माननीय सदस्य ने विधान सभा के संज्ञान में लाया है। सरकार को इस विषय के बारे में अवगत करवाया जाएगा और इनकी भावनाएं भी सरकार को भेजी जाएंगी। इस विषय पर सरकार का जो जवाब होगा वह भी विधान सभा सचिवालय और माननीय सदस्य तक पहुँचाया जाएगा।"

8. **श्री आशीष शर्मा, माननीय सदस्य,** अनुपस्थित

9. **श्री इंद्र दत्त लखनपाल, माननीय सदस्य** ने अवगत करवाया कि बड़सर विधान सभा क्षेत्र में एक फलेड़ा जाति है और वे अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। समस्या यह है कि पहले उन्हें अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट यानी प्रमाणपत्र मिलते थे। राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम आज भी फलेड़ा ही हैं लेकिन कंप्यूटर में उनका नाम फरेरा लिखा हुआ है। अब फरेरा और फलेड़ा नाम में अंतर होने की वजह से उनके अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि कंप्यूटर में फरेरा की जगह फलेड़ा लिखा जाए ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके।

<u>अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था</u>

"आपके विषय का संज्ञान मान्य सदन में लिया गया है। इसके बारे में संबंधित विभाग को लिखा जाएगा और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य तथा मान्य सदन को भी अवगत करवाया जाएगा।"

10. **श्री इंद्र सिंह, माननीय सदस्य** ने ऊपरी बल्ह क्षेत्र में पुलिस थाना खोलने तथा नशे की रोकथाम के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाने बारे मान्य सदन का ध्यान आकर्षित किया तथा कहा कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने जो थाना खोला था, उसको दोबारा अधिसूचित किया जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। यह क्षेत्र 25 पंचायतों का हब है और इन पंचायतों में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं। उस पहाड़ी क्षेत्र में पांच पुलिस कर्मचारियों से पर्याप्त रूप से काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए निवेदन है कि इस नशे को दूर करने के लिए पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

<u>Ruling by the Hon'ble Speaker</u>

"Again, Hon'ble Member have brought a very important issue before the august House. We have taken a cognizance of this issue. We will take up this issue with the respective department. We will see to it that action is taken. Whatever action is taken, we will inform you and the Vidhan Sabha Secretariat also. "

4. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

माननीय मुख्य मन्त्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

5. कागज़ात सभा पटल पर:

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(i) हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 10 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या:

जी.ए.डी.-सी-डी(6)-6/2025, दिनांक द्वारा 27.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित; और

(ii) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026 तक)।

6. सदन की समिति का प्रतिवेदन:

श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2026-27) ने कल्याण समिति के **37वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) पर बने **42वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** द्वारा संचालित **"मुख्यमन्त्री आदर्श ग्राम योजना"** से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी।

7. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया** ने “to call the attention of the House regarding the farmers being forced to buy **"Nano Urea Plus"** along with normal urea bag by depot holders." बारे माननीय कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय कृषि मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय कृषि मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Hon'ble Member Shri Bikram Thakur ji, it is not permitted under this Rule. You resort to other Rules. We will consider it under other Rules. नियम-62 का इतना ही स्कोप है। अब उत्तर से नए विषय पैदा हो रहे हैं तो आपके पास नियम बहुत हैं। आप किसी भी नियम का प्रयोग करते हुए कोई भी मोशन लाएंगे तो विधान सभा सचिवालय उसका संज्ञान लेगा। लेकिन फिर से इसी इश्यू के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो जाए that is not provided in this Rules. वैसे भी नियम-62 का मतलब यह नहीं है। There is difference between Rule-62 and Rule-130. Since this is very important issue and pertaining to the agriculturist of the Himachal Pradesh. That is why I have allowed this issue to be raised in the House and this has been discussed under Rule-62 thoroughly. Whatever the directions were required to be issued that has been assured by the Hon'ble Minister. In any case if the Hon'ble Minister will not carry with those instructions; certainly the Vidhan Sabha Secretariat has a prerogative to take action against the Minister also. Moreover, I will peruse the record और जो भी रैफरेंसिज अनडिजायरेबल होंगे उनको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा।"

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सम्पर्क सड़कों की स्थिति एवं उनके सुधार बारे मान्य सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) **माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा** ने निम्न प्रस्ताव किया एवं चर्चा की :-

"युवाओं के लिए रोज़गार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे" यह सदन विचार करे।

<u>Ruling by the Hon'ble Speaker</u>

"Again, you, Shri Randhir Sharma, are casting aspersions on the Chair. This is not the first time; you have done so repeatedly. I am cautioning you that this is not proper. I am allowing you to raise all issues, but you are casting aspersions on the Chair. Such remarks will not form part of the record."

(04.36 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

माननीय उद्योग और शिक्षा मंत्री ने माननीय सदस्य द्वारा उनके विभाग से सम्बन्धित विषयों के बारे में स्पष्टीकरण दिया।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री सुधीर शर्मा, मा0 सदस्य
2. श्री राकेश जम्वाल, मा0 सदस्य
3. डॉ0 हंस राज, मा0 सदस्य
4. श्री जीत राम कटवाल, मा0 सदस्य
5. श्री राम कुमार, मा0 सदस्य

6:51 बजे अपराह्न सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****